



KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual



PRABHU SIR

उपराष्ट्रपति Vice President



'भारतीय उपराष्ट्रपति'



Art 63

उपराष्ट्रपति Vice President → राज्यसभा के सभापति

अनु 63 - भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। **There shall be a Vice-President of India.**

अनु 64 - राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। **There shall be an ex-officio Chairman of the Rajya Sabha .**

अनु 65 - राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके पद का निर्वाहन कर सकेगा। **Can perform the office of the President in his absence.**

↳ कार्यवाहक राष्ट्रपति

अनु 66 (3) - योग्यता - Qualification -

1. भारत का नागरिक हो , Should be a citizen of India,
2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो , Should have attained the minimum age of 35 years,
3. लाभ के पद पर नहीं हो , Should not be in an office of profit,
4. राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। Should be eligible to become a member of Rajya Sabha. ✓

अनु 66 - निर्वाचन - Election

निर्वाचन प्रणालि

1. लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान में भाग लेंगे। All members of Lok Sabha and Rajya Sabha will participate in voting.
2. हस्ताक्षरीय , एकलमत , अनुपातिक , संक्रमणीय , प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। . By signature, single vote, proportional, transferable, representation system.

अनु 67 - कार्यकाल - Tenure

1. शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। For 5 years from the date of oath taking.
2. इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा। Can resign by submitting resignation to the President before this.
3. साबित कदाचार या सांवधैनिक असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर पद से हटा सकते हैं। Can be removed from the post on the basis of proven misconduct or constitutional incapacity on a resolution passed by both the houses of Parliament with simple majority.

नोट- पद से हटाने की प्रक्रिया का आरम्भ अनिवार्य रूप से राज्यसभा में किया जायेगा।

Note- The process of removal from the post will necessarily be initiated in Rajya Sabha.

उपराष्ट्रपति के कार्य या शक्ति **Functions or powers of the Vice President-**

1. राज्य सभा का पीठासीन होगा। **He will preside over the Rajya Sabha.**
2. राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके पद का निर्वहन करेगा, उसकी समस्त शक्तियाँ और वेतन भत्ते राष्ट्रपति के होंगे। **Will perform the office of the President in his absence, all his powers and salary allowances will be of the President.**
3. वह राज्य सभा के सभापति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। **He does not take oath as the Chairman of the Rajya Sabha.**

आरु- 69- उपराष्ट्रपति को शपथ- राष्ट्रपति दिलाता है।

अनु 68: उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। Election to fill the vacancy in the post of Vice President will be completed before the end of the term.

अनु 69 - उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जायेगा। The Vice President will be sworn in by the President.

नोट - अब तक भारत के दो ही राष्ट्रपति 1. जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद VV गिरि और 2. फकरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद VD जति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।

Note - Till now only two Presidents of India 1. VV Giri after the death of Zakir Hussain and 2. VD Jatti after the death of Fakhruddin Ali Ahmed became Acting President.

① जाकिर हुसैन - राष्ट्रपति
↓
VV गिरि - उपराष्ट्रपति
→ कार्यवाहक राष्ट्रपति
→ त्यागपत्र →



① I - मुहम्मद पतुल्ला
→ VD जति → कार्यवाहक राष्ट्रपति





KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

